झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा | षोडश (मॉनसून) सत्र

संख्या-04 | गुरुवार, दिनांक-25 जुलाई, 2019 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.09 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना:-

माननीय सदस्य, श्री बादल द्वारा जर्जर सड़कों के कारण काँवरियों की हो रही मौतें, माननीय सदस्य श्री इरफान अंसारी द्वारा मॉब लिंचिंग से सम्बन्धित तथा माननीय सदस्य, श्री जगरनाथ महतो एवं श्री दीपक बिरूवा द्वारा राज्य में बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करने सम्बन्धी दिये गये कार्यस्थगन-प्रस्तावों के नियमानुसार नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य कर दिया गया तदुपरांत विरोधस्वरूप माननीय सदस्य, श्री स्टीफन मराण्डी आपने स्थान पर खड़े होकर कुछ कहने लगे और इनके समर्थन में विपक्ष के अन्य माननीय सदस्य भी खड़े हो गये जिससे भारी शोरगुल होने लगा। अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 11.20 बजे पूर्वा० से लेकर 11.45 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2. सूचना का दिया जाना:-

इस अवसर पर माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत द्वारा एम.जी.एम. अस्पताल, जमशेदपुर में एक बच्चा द्वारा अपने पिता की लाश लेकर भटकने तथा दिनांक-24.07.2019 को राँची के एक खुले नाले में बच्ची के डूबकर हुई दर्दनाक मौत की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसके उपरांत माननीय विभागीय मंत्री, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने का प्रयास किया गया, परन्तु सदन में भारी शोरगुल होने लगा।

3. शून्यकाल:-

आज प्राप्त सम्पूर्ण शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन द्वारा निदेश दिया गया।

4. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

i- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (1948) के अधिनियम-14 की धारा 45 के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक बजट प्रतिवेदन 2019-20 की एक प्रति सभा मेज पर उपस्थापित की गयी,

ii- आसन द्वारा पुकारे जाने पर माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, डॉ० नीरा यादव द्वारा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् का वर्ष-2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं अंकेक्षित लेखा विवरणी तथा झारखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन-2017-18 की एक-एक प्रति सभा मेज पर उपस्थापित की गयी।

कृ०पृ०उ०

इस क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा पुनः शोरगुल किया जाने लगा, अतएव अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्या॰ से भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

5.विधायी कार्यः-

(क) झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, श्री अमर कुमार बाउरी द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से खण्ड-06 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) विधेयक, 2019 सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ एवं माननीय सदस्य, श्री सुखदेव भगत एवं श्री स्टीफन मराण्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन अस्वीकृत हुए।

(ख) कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019

माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, श्री राज पलिवार द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-02 से 04 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(ग) झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

माननीया प्रभारी मंत्री, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, डॉ॰ नीरा यादव द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित किया गया।

पुरःस्थापनोपरांत माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डशः विचार के क्रम में विधेयक के अध्याय-02 के खण्ड-02 एवं अध्याय-03 , खण्ड-1, प्रस्तावना तथा नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तत्पश्चात् झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्र॰पृ॰उ॰

6.सूचना का दिया जाना(क्रमांक-2 से जारी):-

इस अवसर पर आसन के निदेश से निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा विभिन्न विषयों से सम्बन्धित सूचनायें दी गयीं-

माननीय सदस्य, श्री भानू प्रताप शाही-गढ़वा जिले में बिजली की खराब स्थिति,
माननीय सदस्य, श्री नवीन जायसवाल-राँची जिला में कॉलेज के जमीन विवाद,
माननीय सदस्य, श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी-गोपीनाथ सिंह महिला महाविद्यलाय के कर्मियों के वेतनादि,
माननीय सदस्य, श्री संजीव सिंह, आर.एस.पी. कॉलेज, झरिया खाली कराये जाने,
माननीय सदस्य, श्री अनन्त कुमार ओझा-बड़हरवा में राधानगर के मजदूरों की हुई दुर्घटना,
माननीय सदस्य, डॉ० इरफान अंसारी-उर्दू एकेडमी एवं मदरसा बोर्ड का गठन,
माननीय सदस्य, श्री लम्मण टुडू-मुसाबनी के बी.डी.एस.एल, हाईस्कूल+2 के अनुदान,
माननीय सदस्य, श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता-ए.के.सिंह डिग्री कॉलेज, गढ़वा,
माननीय सदस्य, श्री बिरंची नारायण-स्कूल बसों में क्षमता से अधिक बच्चों के ढोये जाने,
माननीय सदस्य, श्री मनीष जयसवाल-एन.टी.पी.सी. द्वारा अधिग्रहित जमीन का मुआवजा,
माननीय सदस्य, श्री जानकी प्रसाद यादव-डिग्री कॉलेज भवन का निर्माण,
माननीय सदस्य, श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी-प्राथमिक-माध्यमिक एवं उच्च विद्यालयों में मुण्डारी भाषा की पढ़ाई एवं मुण्डारी तथा खूँटकटी को भूमि बैंक से बाहर रखना,

माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव-राजस्व विभाग द्वारा भू-पट्टा दिलाने विषयक की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, इसपर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सूचनाओं को सम्बन्धित विभागों में भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया जिसपर माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सरकार की ओर से गम्भीरतापूर्वक नियमानुसार कार्रवाई किये जाने हेतु सदन को आश्वस्त किया गया। इसके उपरांत सभा की कार्यवाही **शुक्रवार, दिनांक-26 जुलाई, 2019 के 10.00 बजे पूर्वाह्न** तक के लिए स्थगित की गयी ।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

राँची,
दिनांक- 25 जुलाई, 2019 ई०।